

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2026 दि0 लखनऊ: फरवरी 12, 2026

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 161/2026 दिनांक 06.02.2026 के द्वारा माह मार्च, 2026 में जनपद गाजियाबाद में युगलपीठ का गठन दिनांक 09.03.2026 से 11.03.2026 तक किया गया था। उपरोक्त युगलपीठ में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 मेरठ को नामित किया गया था।

सदस्य, पीठ-2, मेरठ के द्वारा पत्र संख्या 25 दिनांक 11.02.2026 से सूचित किया गया है कि वह उक्त अवधि में उपार्जित अवकाश पर होने के कारण, उपरोक्त खण्डपीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश संख्या-161/2026 दिनांक 06.02.2026 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद गाजियाबाद में दिनांक 09.03.2026 से 11.03.2026 तक गठित युगलपीठ में सदस्य, पीठ-2, मेरठ के स्थान पर सदस्य, पीठ-4, कानपुर को नामित किया जाता है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/12.02.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/212/2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 व 2, गाजियाबाद।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, कानपुर।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, मेरठ।
- 4- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र0निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।